Seeking Public Comments / Opinion on Draft Quality Control Order (QCO) made by BIS for bringing specified Jute Bags under Compulsory BIS certification

The Office of the Jute Commissioner seeks public opinion / comments on Draft Quality Control Order (QCO) made by BIS, for bringing Jute Bags as specified below under Compulsory BIS certification. The Draft Quality Control Order is as follows:

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (ii))]

Ministry of Textiles
Government of India
Order

New Delhi, the -------, 2021

S.O.--------(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section 3 of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title, commencement and application. –** (1) This Order may be called the Jute Bags (Quality Control) Order, 2021.

   (2) It shall come into force with effect from the______________.

   (3) It shall apply to goods or article specified in column (2) of the Table below, but shall not apply to such goods or article meant for export.

2. **Compulsory use of Standard Mark.-**. Goods or article specified in column (2) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. **Certification and Enforcement Authority.-** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (2) of the Table.

4. **Penalty for Contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

Table

Sl. No.	Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	A-twill jute bags	IS 1943:1995	Textiles – A-twill jute bags-Specification
2.	B-twill jute bags for packing foodgrains	IS 2566:1993	Textiles – B-twill jute bags for packing foodgrains – Specification
3.	Jute bags for packing 50 kg foodgrains	IS 12650:2018	Textiles – Jute bags for packing 50 kg foodgrains – Specification
4.	Jute bags for packing 50 kg sugar	IS 15138:2010	Textiles – Jute bags for packing 50 kg sugar – Specification
5.	Light weight jute sacking bags for	IS 16186:2014	Textiles - Light weight jute sacking bags for packing 50 kg foodgrains -

	packing 50 kg foodgrains		Specification
6.	Jute bags for packing up to 30 kg foodgrains	IS 16372:2015	Textiles - Jute bags for packing up to 30 kg foodgrains - Specification

Note: The latest version of Indian Standards including amendments issued thereof, as published and notified by the Bureau from time to time, shall be applicable from the date as notified by the Bureau.

(File No.----------)
Sd/-
, Joint Secretary.

Comments / Opinion from general public/ concerned stakeholders / interested persons etc. should reach the Jute Commissioner at the below mentioned address within Forty-Five (45) days from the date of issue of this Notification.

Office of the Jute Commissioner
CGO Complex, 4th Floor, E&F Wing, DF Block
Salt Lake, Sector-I, Kolkata – 700064, West Bengal
E-mail: jcoffice@jutecomm.gov.in

पटसन निर्मित बैगों को अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत शामिल करने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (गुनिआ) के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां/ विचार मांगना

पटसन आयुक्त कार्यालय पटसन निर्मित बैगों को अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत शामिल करने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (गुनिआ) के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां / विचार देने का निवेदन करता है।गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (गुनिआ) का मसौदा निम्नवत है -

[भारत सरकार के राजपत्र, असामान्य, भाग-॥, खंड- 3,उपखंड- (ii) में प्रकाशनार्थ]

वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार
आदेश

नई दिल्ली,........., 2021

एस. ओ........ (ई)खंड 16 के उपखंड (1) तथा (2) के साथ पठित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2011 (2016 का 11) के खंड 17 तथा खंड 25 के उपखंड 3में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श केउपरांत इस मत पर है कि जनहित में उक्त कार्य को करना आवश्यक है और इसलिए एतद द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, जो इस प्रकार है :-

1. **संक्षिप्तशीर्षक, प्रारंभ एवं लागू -** (1) यह आदेश पटसन बैग (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के नाम से जाना जाएगा |
   (2) यह दिनांक.......... से लागू होगा |
   (3) यह निम्न तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्टवस्तु या सामग्री पर लागू होगा
   परन्तु निर्यात के लिए बने वस्तुओं या सामग्रियों पर लागू नहीं होगा |
2. **मानक चिन्ह के प्रयोग कीबाध्यता :** निम्न तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित वस्तु या सामग्री उक्त तालिका के स्तंभ (3) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होगी तथा भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियमन, 2018 के अनुसूची-II के स्कीम -I के निर्देशानुसार भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त अनुज्ञप्ति के अंतर्गत उक्त वस्तु या सामग्री पर मानक चिन्ह होगा |
3. **प्रमाणन तथा प्रवर्तन प्राधिकारी :** भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तु या सामग्री का प्रमाणन तथा प्रवर्तन प्राधिकारी होगा |
4. **उल्लंघन पर जुर्माना :** कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा वह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा |

तालिका

क्र. सं.	**वस्तु या सामग्री**	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक का शीर्षक**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ए- ट्वील जूट बैग्स	आईएस 1943:1995	वस्त्र - ए- ट्वील जूट बैग्स - विनिर्दिष्टिकरण
2.	बी- ट्वील खाद्यान्न को पैक करने के लिए	आईएस 2566:1993	वस्त्र- बी- ट्वील खाद्यान्न को पैक करने के लिए जूट बैग्स- विनिर्दिष्टिकरण

	जूट बैग्स		
3.	50 किलोग्राम खाद्यान्न को पैक करने के लिए जूट बैग्स	आईएस 12650:2018	वस्त्र - 50 किलोग्राम खाद्यान्न को पैक करने के लिए जूट बैग्स - विनिर्दिष्टिकरण
4.	50 किलोग्राम चीनी को पैक करने के लिए जूट बैग्स	आईएस 15138:2010	वस्त्र -50 किलोग्राम चीनी को पैक करने के लिए जूट बैग्स- विनिर्दिष्टिकरण
5.	50 किलोग्राम खाद्यान्न को पैक करने के लिए कम वजन के जूट निर्मित बोरियां	आईएस 16186:2014	वस्त्र - 50 किलोग्राम खाद्यान्न को पैक करने के लिए कम वजन के जूट निर्मित बोरियां विनिर्दिष्टिकरण
6.	30 किलोग्राम तक खाद्यान्न को पैक करने के लिए जूट बैग्स	आईएस 16372:2015	वस्त्र - 30 किलोग्राम तक खाद्यान्न को पैक करने के लिए जूट बैग्स - विनिर्दिष्टिकरण

टिप्पणी: समय-समय पर ब्यूरो द्वारा संशोधनों सहित भारतीय मानक का निर्गत नवीनतम संस्करण यथा प्रकाशित तथा अधिसूचित, ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किए गए तिथि से लागू होगा |

(फाइल सं. ……………………….)

हस्ताक्षरित /-

संयुक्त सचिव

आम जन / संबंधित हिस्सेदार / इच्छुक व्यक्तिगण आदि के टिप्पणी /विचार इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस (45) दिनों के भीतर पटसन आयुक्त के निम्नलिखित पत्ते पर पहुँच जानी चाहिए|

पटसन आयुक्त का कार्यालय

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, ई एवं एफ विंग, डीएफ ब्लॉक

सॉल्ट लेक, सेक्टर - I, कोलकाता - 700064, पश्चिम बंगाल

ई- मेल : jcoffice@jutecomm.gov.in